अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	

28.6.23

अभिलेख उपस्थापित।

शम्भु ठाकुर पिता स्व0 साधुचरण ठाकुर, निवास स्थान नउवाटोली, हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुडहुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-94, प्लॉट संख्या-1992, रकवा-0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि अंजु देवी पति मिथलेश ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-ठाकुर मोहल्ला, बड़कागाँव, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग वर्तमान पता-425 नउवाटोली, हुडहुडु, शिव मंदिर के पास, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-175/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 723/रा0 दिनांक 15.02.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 659 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत होरिल हजाम वगैरह हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.63 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.47 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-212/VIII पर शम्भु ठाकुर वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद 2018-19 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के दादा हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 31.50डिसमिल भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 28.50डी0 भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

म सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में शम्भु ठाकुर पिता स्व0 साधुचरण ठाकुर, निवास स्थान नउवाटोली, हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुडहुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-94, प्लॉट संख्या-1992, रकबा-0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि अंजु देवी पति मिथलेश ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-ठाकुर मोहल्ला, बड़कागाँव, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग वर्तमान पता-425 नउवाटोली, हुडहुडु, शिव मंदिर के पास, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.03 11:35:06 +05:30
Location: 192.168.0.105